न्यायालयः— द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

सत्र प्रकरण<u>कमांकः 106 / 2014</u> संस्थित दिनांक—21.04.2014 फाईलिंग नंबर—230303005282014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र एण्डोरी जिला—भिण्ड (म०प्र०)

----अभियोजन

वि रूद्ध

श्रीमती आशा पत्नी सुरेन्द्रसिंह चौहान उम्र 32 साल निवासी ग्राम बगदा पी0एस0 डोकी जिला आगरा

.....<u>आरोपिया</u>

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक। आरोपिया आशा द्वारा श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता।

-::- <u>निर्णय</u> -::-

(आज दिनांक 12 जनवरी-2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1. आरोपिया के विरुद्ध धारा 120 (बी) भा०द०वि० के तहत यह आरोप है कि दिनांक 09.10.13 को दिन के करीब साढ़े दस बजे फरियादी दीपेन्द्रसिंह तोमर के निवास ग्राम भौनपुरा से ग्राम सिहोनिया के बीच उसकी भांजी अभियोक्त्री कुमारी प्रीति पुत्री प्रेमसिंह सिकरवार उम्र करीब 15 साल का उसके संरक्षक फरियादी की संरक्षकता से उसकी सम्मति व अनुमति के वगैर सह अभियुक्त धर्मवीरसिंह पुत्र कमलसिंह जादौन के साथ विवाह करने को प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर व्यपहरण करने का उसके साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र कारित किया जो कि मूलतः धारा—363 एवं 366 भा०द०वि० के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।
- 2. प्रकरण यह निर्विवादित तथ्य है कि आरोपिया श्रीमती आशा एवं फरार सह अभियुक्त धर्मवीर आपस में सगे भाई बहन हैं तथा आरोपिया श्रीमती आशा घटना के पहले से शादीशुदा स्त्री है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अपहत प्रीति को अनुपस्थित आरोपी धर्मवीर के संसर्ग से एक संतान पैदा हुई थी जो वर्तमान में अनाथालय में पल रही है। यह भी निर्विवादित है कि अपहत प्रीति का विचारण के दौरान सिंघपालसिंह भदौरिया निवासी ग्राम कनावर जिला भिण्ड से विवाह हो

चुका है।

- अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी दीपेन्द्र सिंह ने दिनांक 17.10.2013 को इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि वह भौनपुरा का रहने वाला है। उसकी भांजी प्रीती पुत्री प्रेमसिंह सिकरवार उम्र 15 साल निवासी अमेला थाना सैंया आगरा की करीब दस वर्ष से पढ़ रही थी। इस साल प्रीति कक्षा—10 में शासकीय उसके यहाँ रहकर हाईस्कूल सिंहोनियाँ में पढ रही थी। दिनांक 09.10.13 को सुबह करीब सात बजे वह खेत पर बाजरा काटने चला गया। करीब दिन के बारह बजे घर खाना खाने आया तो उसने अपनी मॉ मुन्नीदेवी से पूछा कि प्रीति कहाँ है तो बताया कि सिंहोनिया पढ़ने गई है। फिर वह बाजरा काटने चला गया। शाम को छः बजे घर आया तो मॉ ने बताया कि प्रीति पढकर अभी नहीं आई है तब उसने गांव में आसपास तलाश की तो पता नहीं चला। दिनांक 10.10.13 को स्कूल में सिहोनिया गया। तो कोई पता नहीं चला। फिर रिश्तेदारी में मझउआ सिकरौदा अमेला गया तथा प्रीति की आने की जानकारी ली तो मना कर दिया। तथा वह रिश्तेदारी में आवेदन दिनांक तक पता करता रहा। कोई पता नहीं चला है। उसकी भांजी कहीं गुम हो गयी है। जिसका रंग सांवला करीब साढे चार फीट की है। चेहरा गोल हे तथा सलवार सूट पहने हुए है। व लाल रंग का दुपट्टा काला व सफेद ओढे है। फरियादी के उक्त लिखित आवेदन पर से गुम इंसान कमांक-07/13 प्र0पी0-2 पंजीबद्ध कर की गई जांच पर से एवं साक्षीगण के कथनों के आधार पर आरोपिया आशा के विरूद्ध अपराध क्रमांक-102/13 पर धारा-363, 366 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। एवं आरोपिया आशादेवी के विरूद्ध संपूर्ण विवेचना कर मामला विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 4. जे०एम०एफ०सी० कुमारी शैलजा गुप्ता द्वारा प्रकरण उपार्पित किए जाने पर माननीय सत्र खण्ड भिण्ड से अंतरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुआ।
- 5. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 120 (बी) भा०द०वि० भा०द०वि० के तहत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा०फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में उसे बदनाम कराये जाने के लिये झूटा फंसाए जाने का आधार लिया है। बचाव में आरोपिया श्रीमती आशा ने स्वयं का कथन प्र0सा–1 के रूप में कराया है।

- 6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
 - अ— क्या, दिनांक 09.10.13 को दिन के करीब साढे दस बजे फरियादी दीपेन्द्रसिंह तोमर के निवास ग्राम भौनपुरा से ग्राम सिहोनिया के बीच उसकी भांजी अभियोक्त्री कुमारी प्रीति पुत्री प्रेमसिंह सिकरवार उम्र करीब 15 साल का उसके संरक्षक फरियादी की संरक्षकता से उसकी सम्मति व अनुमति के बगैर फरार सह अभियुक्त धर्मवीरसिंह पुत्र कमलसिंह जादौन के साथ विवाह करने को प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर व्यपहरण करने का उसके साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र किया?

<u>-::-निष्कर्ष के आधार</u> :-

विचारणीय प्रश्न कमांक— अ का निराकरण

- 7. उक्त विचारणीय विंदु का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है ।
- 8. सर्वप्रथम विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण के अपराध के लिए भा०द०वि० की धारा—361 के प्रावधान में बताये गये अवयवों का साबित होना आवश्यक है, जिसके मुताबिक —

जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो, तो [सोलह] वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो [अठारह] वष्र से कम आयु वाली को या किसी विकृतचितत्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की समत्ति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है । स्पष्टीकरण— इस धारा में ''विधिपूर्ण संरक्षक'' शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है, जिसपर ऐसे अप्राप्तवय या अन्य व्यक्ति की देख—रेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है।

- अपवाद— इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है, जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है, या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जबकि कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए ना किया जाये ।
 - 9. धारा 362 भादवि. के अंतर्गत अपहरण को पारिभाषित कर बताया गया है कि—

जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है।

- 10. आरोपिया के विरूद्ध विरचित मूल आरोप धारा—120 बी भा0द0वि0 का है जिसमें अपहता प्रीति को किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों के द्वारा उत्प्रेरित करते हुए विवाह आदि करने को विवश करने के लिये अपहरण या व्यपहरण किया जाना और उसमें आपराधिक षड़यंत्र में शामिल होना बताया गया है। विवाह आदि करने को विवश करने के लिये किसी स्त्री को अपहत या व्यपहरत करने या उत्प्रेरित करने के लिये धारा—363 एवं 366 भा0द0वि0 में दण्ड की व्यवस्था की गई है।
- 11. आपराधिक षड़यंत्र के लिये धारा—120 (बी) भा०द०वि० में दण्ड की व्यवस्था की गई है। इसी संदर्भ में विचाराधीन मामले को अभिलेख पर आई साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकित करते हुए निराकृत किया जाना है।
- सर्वप्रथम अपह्त की आयु के संबंध में मूल्यांकन करना उचित होगा 12. जिसके संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य है, उसमें दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अपह्त प्रीति का शासकीय हाईस्कूल सिहोनियाँ तहसील अंबाह जिला मुरैना के प्राचार्य का प्रमाणीकरण एवं उसकी कक्षा–9 की मूल्यांकन, प्रगति पत्रक क्रमशः प्र0पी0–3 व 4 के रूप में पेश किये गये हैं जिससे संबंधित साक्षी एम०एल० श्रीवास अ०सा०–४ है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 29.01.14 को विद्यालय में प्राचार्य के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए थाना प्रभारी एण्डोरी द्वारा विद्यालय की छात्रा प्रीति पुत्री प्रेमसिंह सिकरवार की जन्म तिथि चाहे जाने के संबंध में आवेदन पत्र दिया था जिसमें उसने अपने विद्यालय के रिकॉर्ड के आधार पर प्र0पी0-3 का प्रमाणीकरण जारी किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और उसकी वर्ष 2012—2013 की अंकसूची भी प्र0पी0—4 है जिस पर भी ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर बताये हैं। दोनों दस्तावेजों के मुताबिक प्रीति की जन्मतिथि अ0सा0-4 के मुताबिक चार अगस्त 1998 बताई गई है। स्कूली प्रमाण पत्र पर उक्त जन्म दिनांक अ०सा0-4 के मुताबिक टी०सी० के आधार पर लेख की गई है। प्र०पी0-4 से संबंधित मूल अभिलेख लेकर नहीं आया था। टी०सी० में किस आधार पर जन्मतिथि ली गई। इसके बारे में उक्त साक्षी कुछ भी बताने में असमर्थ है। जन्म दिनांक किसके द्वारा कब लिखाई गई, इसके बारे में भी उसकी कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में अ0सा0-4 के अभिसाक्ष्य के आधार पर अपहत प्रीति की जन्म दिनांक 04.08.98 निश्चित तौर पर होना नहीं कहा जा सकता है। और उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से आयु संबंधी बिन्दु निर्धारित नहीं हो सकता है।
- 13. आयु के संबंध में अपहत प्रीति अ०सा०-10 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-1 में जन्म दिनांक याद्दास्त के आधार पर चार अगस्त 1998 होना बताते हुए कथन दिनांक 24.09.

15 को उम्र 17—18 साल होना बताई है और वह कक्षा—1 से ही अपने मामा दीपेन्द्रसिंह तोमर के यहाँ ग्राम भौनपुरा में रहकर पढ़ना कहती है जैसा कि उसने पैरा—4 में उसने बताया है तथा उसकी अंकसूचियों के बारे में उसे जानकारी नहीं है कि किसके पास हैं। उसके पैरा—4 मुताबिक जन्म दिनांक स्कूल में किसके द्वारा लिखाई गई, इसका उसे पता नहीं है। वह यह अवश्य कहता है कि ग्राम अयेला में उसका जन्म हुआ था। उसकी कोई कुण्डली नहीं बनी है। ऐसे में अपहता अपनी आयु निश्चित तौर पर बताने में असमर्थ है और उसके मुताबिक वह 5—6 साल की उम्र में भौनपुरा जाकर अपने मामा के यहाँ रहने लगी थी।

- प्रकरण में अपहुता प्रीति अ०सा०–10 का अनुसंधान के दौरान प्र0पी0–7 का 14. पुलिस कथन थाना सिटी कोतवाली जिला भिण्ड में पदस्थ रही उपनिरीक्षक दीपशिखा द्व ारा लिया गया था जिसे वा०सा0-2 के रूप में परीक्षित कराया गया है और उसने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 08.01.15 को अपह्त प्रीति का सिटी कोतवाली भिण्ड में प्र0पी0-7 का कथन लेना बताते हुए उस समय अपहत द्वारा अपनी उम्र साढ़े पन्द्रह साल लिखाई जाना कहा है। यह भी कहा है कि उस समय अपह्ता की गोद में एक नवजात बच्ची थी और उस समय प्रीति 19 साल या उससे अधिक नहीं लग रही थी लेकिन उक्त उपनिरीक्षक की दृष्टि में प्रीति की उम्र उसके द्वारा क्या आंकलित की गई, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देती है और प्र0पी0-7 में उसके द्वारा प्रीति की उम्र प्रीति के बताये अनुसार ही लेखबद्ध करना प्रकट होती है इसलिये सही उम्र लिखी गई, ऐसा अनुमानित नहीं किया जा सकता है जबकि एक नवजात बच्ची भी उसके पास थी। उक्त बचाव साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्र0पी0-7 का कथन देते समय आरोपिया आशा का नाम उसे नहीं बताया था। ऐसे में वा0सा0-2 के अभिसाक्ष्य से भी प्रीति की उम्र घटना के समय पन्द्रह या साढ़े पन्द्रह साल होना आंकलित नहीं की जा सकती है। इसलिये प्रकरण में अपह्ता के माता पिता या अन्य रिश्तेदार जो उसकी उम्र के बारे में ऐसी सटीक जानकारी रखते हैं, उनकी मौखिक साक्ष्य, विवेचना के दौरान कराये गये अस्थि विकरण परीक्षण (ossificaton test) को ध्यान में रखते हुए आयु का निर्धारण करना होगा।
- 15. अभिलेख पर जो सामग्री पेश है, उसमें अपहता प्रीति के अनुसंधान के दौरान जे०एम०एफ०सी० गोहद में न्यायालय में धारा—164 द०प्र०सं० के तहत भी कथन प्र०डी०—13 कराया गया था। उस समय सक्षम जे०एम०एफ०सी० न्यायालय द्वारा उसकी उम्र दिनांक 08.01.15 को 19 वर्ष आंकलित की गई है। कथानक मुताबिक घटना दिनांक 09.10.13 की बताई गई है। उक्त आंकलन से घटना दिनांक को अपहत प्रीति 16 वर्ष से

अधिक आयु की बताई गई है।

- 16. प्र०डी०–14 मुताबिक कराये गये ऑसिफिकेशन टेस्ट में चिकित्सक द्वारा दिनांक 08.01.15 को ही अपहत की दांहिनी आंख की कलाई, कोहनी, कंधे के एक्सरे परीक्षण के आधार पर हड्डी के प्रकार व फ्यूजन को देखते हुए उम्र 17 से 18 वर्ष के दरम्यान की आंकलित की है जिसके संबंध में आरोपिया आशा ने धारा–315 द०प्र०सं० के तहत ब०सा०–1 के रूप में स्वयं का साक्ष्य दिया है।
- 17. मौखिक साक्ष्य में इस बिन्दु पर अपहता के पिता प्रेमिसंह अ०सा०—1 ने यह बताया है कि उसकी पुत्री प्रीति जो कि अपने मामा के यहाँ भौनपुरा में थी। वहाँ से स्कूल से धर्मवीर व आशा दोनों ले गये थे। उसने मुख्य परीक्षण में प्रीति की आयु के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा—2 में उसने अपनी उम्र 38 वर्ष होना बताई है जो न्यायालय द्वारा भी कथन दिनांक 21.08.14 को आंकलित की गई है तथा उसने 22 वर्ष पूर्व शादी होना बताया है। छः संतानें बताई हैं जिनमें प्रीति उसकी सबसे बड़ी संतान है जिसका जन्म वह शादी के छः वर्ष बाद होना कहता है जिसके आधार पर प्रीति की उम्र 18 वर्ष आंकलित होती है। उसने यह भी कहा है कि कक्षा—1 से कक्षा—5 तक उसकी लड़की उसके ग्रम अयेला के सरकारी स्कूल में पढ़ी थी और स्कूल में जन्म दिनांक उसने लेख कराई थी जिसकी अंकसूची उसके पास है लेकिन अंकसूचियों में क्या जन्म दिनांक लिखाई, यह उसे याद नहीं है। उक्त साक्षी के द्वारा कोई अंकसूची या ग्राम अयेला के सरकारी स्कूल का अभिलेख अपहत प्रीति की आयु के संबंध में पुलिस को विवेचना के दौरान नहीं दिया न ही पुलिस द्वारा प्राप्त किया गया।
- 18. इसके विपरीत अपहता प्रीति का मामा और अ०सा०—1 प्रेमिसंह का सगा साला दीपेन्द्रसिंह अ०सा०—2 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसकी संरक्षकता में से प्रीति का अपहरण बताया गया है, उसके मुताबिक उसकी भांजी प्रीति उसके घर दस साल से रह रही थी और पढ़ती थी और सरकारी हाईस्कूल सिहोंनियाँ में पढ़ती थी। घटना वाले दिन भी स्कूल पढ़ने गई थी। उसके पैरा—4 मुताबिक प्रीति की माँ चांदनी जो उसकी बड़ी बहन है, उसकी उम्र वह 38—40 साल बताता है और यह बताता है कि जब वह 8—9 वर्ष का था तब उसकी बहन चांदनी की शादी हुई थी। साक्ष्य दिनांक 21.08.14 को दीपेन्द्र की उम्र 32 साल न्यायालय द्वारा आंकलित की गई थी। पैरा—4 में उसने अपनी उम्र 32—33 साल बताई है। उक्त साक्षी के मुताबिक प्रीति की माँ चांदनी और प्रेमिसंह के विवाह को करीब 23—24 साल हो जाती है।
- 19. इस साक्षी अ0सा0-2 ने पैरा-5 में उसने यह कहा है कि प्रीति उसके यहाँ कक्षा-1 से ही शिक्षा ग्रहण करती रही है और स्कूल में उसने भर्ती कराया था तब

कण्डिका—1 में भर्ती कराते समय उसने ही उसकी जन्म दिनांक लिखाई थी। उसे यह भी जानकारी है कि कक्षा पांच तथा आठ की बोर्ड परीक्षा होती है, उसकी अंकसूचियाँ मिलती हैं। उक्त साक्षी ने प्रीति की घटना के समय क्या उम्र थी, यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। यदि उसके अभिसाक्ष्य के आधार पर आयु का निर्धारण किया जाता है तो वह प्रीति की उम्र घटना के समय 20—21 साल होने से तो इन्कार करता है किन्तु ऐसा नहीं बताता है कि लगभग क्या उम्र थी इसलिये उम्र के बिन्दु पर अ0सा0—2 महत्वहीन साक्षी है।

- 20. अपहता की मॉ गुड़ड़ी डर्फ चांदनी अ०सा०—3 के रूप में परीक्षित हुई है जो कि आयु के संबंध में सर्वाधिक महत्व की साक्षी है क्योंकि उसके द्वारा ही प्रीति को जन्म दिया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में आयु के संबंध में पैरा—4 में यह कहा है कि उसके विवाह को करीब 21—22 साल हो गये हैं और शादी के पांच साल बाद प्रीति का जन्म हुआ था और उसने भी कुल छः संतानें होना बताई हैं। सबसे छोटी लड़की काजल ढाई वर्ष होना कथन दिनांक 15.09.14 को वह बताती है। यदि इस आधार पर उम्र आंकलित की जावे तो प्रीति की उम्र 17—18 साल आंकलित होगी। जैसा कि ऑसिफिकेशन टेस्ट में भी बताया गया है। उक्त साक्षिया ने पैरा—7 में अ०सा०—1 व 2 के विपरीत प्रीति का सिहोनियों के स्कूल में कक्षा नौ से पढ़ने जाना बताया है और यह स्वीकार किया है कि उसके ग्राम अयेला में बारहवीं तक सरकारी स्कूल है लेकिन वहाँ प्रीति नहीं पढ़ी है। इसके आधार पर ही उम्र 16 वर्ष से अधिक ही आंकलित होती है।
- 21. घटना की गुमशुदगी, जांच करने वाले रिपोर्ट लेखकर्ता एवं विवेचक रहे ए ०एस०आई० आर०सी० माहौर अ०सा०-6 ने अपने अभिसाक्ष्य में आयु के संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य में प्र०पी०-3 व 4 के अलावा कोई संकलन करना बताया है इसलिये आयु के संबंध में विवेचक की साक्ष्य भी नगण्य है।
- 22. कुमारी शालू अ०सा०-7, मुकेश अ०सा०-8 के द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी गई है। अपहत प्रीति की नानी मुन्नीदेवी अ०सा०-9 के रूप में परीक्षित हुई है जिसने प्रीति की उम्र के संबंध में यह कहा है कि गुड्डी उर्फ चांदनी की शादी को 22 साल हो गये हैं और शादी के चार साल बाद प्रीति का जन्म हुआ था। प्रीति नौ साल से उनक यहाँ रहकर सिहोनियाँ के स्कूल में पढ़ती थी। उसके आधार पर प्रीति की उम्र 18 साल होना आंकलित होती है।
- 23. इस तरह से अभिलेख पर जो संपूर्ण मौखिक साक्ष्य है, उसके मुताबिक अपहता प्रीति हर दृष्टि से 16 साल से अधिक उम्र की पाई गई है। अ०सा०—10 के रूप में प्रीति का दिनांक 24.09.15 को कथन हुआ था। तब भी उसकी उम्र न्यायालय द्वारा 19 वर्ष आंकलित की गई है। इस तरह से प्र0पी0—1 की लेखी गुमशुदगी रिपोर्ट जो दिनांक 17.

10.13 को लेखबद्ध कराई गई थी और उसमें 09.10.13 को गुम होना बताया था। उससे स्कूल के प्रमाणीकरण मुताबिक तो उम्र पन्द्रह वर्ष दो माह पांच दिन होती है किन्तु वह किसी भी साक्ष्य से समर्थित नहीं है इसलिये प्र0पी0—3 व 4 के आधार पर कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि प्र0पी0—1 में गुमशुदगी की दिनांक के बारे में भी विवाद की स्थिति है क्योंकि उसमें ओव्हर राईटिंग है जिसके बारे में आगे मूल्यांकन किया जायेगा।

- 24. अपहत की आयु के संबंध में न्याय दृष्टांत सुरेश विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0
 2011 भाग—2 एम0पी0जे0आर0 पेज—279 में साक्ष्य विधान की धारा—35 एवं 45 की व्याख्या करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि स्कूली अभिलेख के आधार पर आयु जिस दस्तावेज के आधार पर अभिलिखत की गई हो, उसके अभाव में स्कूल अभिलेख को आयु की जांच के संबंध में विचार में नहीं लिया जा सकता है। न्याय दृष्टांत विष्णू विरुद्ध स्टट ऑफ महाराष्ट्र ए0आई0आर0 2006 सुप्रीमकोर्ट पेज—508 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि हड्डी की जांच की रिपोर्ट मात्र एक सुझाव होती है। माता पिता का कथन, नगर पालिका का रिकॉर्ड आयु के संबंध में उससे ज्यादा विश्वसनीय होता है। हस्तगत प्रकरण में अपहत प्रीति की हड्डी की जांच रिपोर्ट 17 से 18 वर्ष की उम्र आंकलित करती है और माता पिता के कथन उसके वयस्क होने को इंगित कर रहे हैं।
- 25. न्याय दृष्टांत शीतला विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात 1992 भाग-1 काईम्स पेज-545 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियोक्त्री की आयु के संबंध में कोई दस्तावेज पेश न हो कि वह कब पैदा हुई और उसके पिता की आयु के संबंध में कथन विरोधाभाषी पाया गया, चिकित्सीय साक्ष्य भी अभियोजन की सहायता न करती हो तो अभियोक्त्री को वयस्क होना माना जा सकता है। तथा न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ कर्नाटक विरुद्ध सुरेश बाबू 1994 भाग-1 एम०पी०डब्ल्यु०एन० (सुप्रीम कोर्ट) नोट 225 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि अभियोक्त्री की आयु निश्चित नहीं कही जा सकती हो और उसकी आयु संतोषजनक हो तो उसका फायदा आरोपी को मिलेगा।
- 26. हस्तगत मामले में प्र0पी0-3 व 4 में जन्म दिनांक अ०सा0-4 के मुताबिक टी०सी० के आधार पर लिखी गई और टी०सी० प्रकरण में पेश नहीं है तथा प्रथम बार स्कूल में कक्षा-एक में भर्ती कराते समय क्या जन्म दिनांक लिखाई गई, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है। तथा ओसिफिकेशन टेस्ट पर आधारित चिकित्सीय राय के संबंध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि चिकित्सीय न्याय शास्त्र अनुसार

ऑसीफिकेशन टेस्ट में बताई गई उम्र में दोनों तरफ दो वर्ष की त्रुटि का अंतर अनुज्ञेय है। प्र0पी0—14 के मुताबिक 17 से 18 वर्ष ऑसीफिकेशन टेस्ट में आंकलित की गई है और जो परिस्थितियाँ मौखिक साक्ष्य में आयु के संबंध में प्रकट हो रही हैं उससे अपहता प्रीति की उम्र में आगामी दो वर्ष का अंतर अनुज्ञेय ही माता पिता और नानी की साक्ष्य के आधार पर अनुज्ञात किया जा सकता है। इस दृष्टि से अपहता प्रीति अवयस्क होना परिलक्षित नहीं होती है।

- 27. हस्तगत मामले में विचाराधीन आरोपिया श्रीमती आशा को कथानक मुताबिक अपहत प्रीति के साथ सह अभियुक्त धर्मवीर के संग विवाह के लिये प्रलोभित करते हुए व्यपहरण के अपराध में उसके साथ षड़यंत्रकारी भूमिका के लिये अधिरोपित किया गया है। षड़यंत्र के अपराध के लिये जो वैधानिक रूप से विधिक स्थिति है उसमें आपराधिक षड़यंत्र के लिये कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है और आपराधिक षड़यंत्र को प्रमाणित करने के लिये आम तौर पर प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना दुर्लभ है इसलिये आपराधिक षड़यंत्र को पक्षकारों का कार्य, स्थापित तथ्यों तथा उनके आचरण से ही अनुमानित किया जा सकता हैं जिसके लिये आवश्यक है कि षड़यंत्र की तारीख और अवधि क्या थी। व्यक्ति जिन्होंने षड़यंत्र की रचना में भाग लिया, षड़यंत्र का उद्धेश्य और षडयंत्र को कियान्वित करने की रीति।
- यह सही हे कि षड़यंत्र का अपराध गुप्तता में किया जाता है इसलिये उसकी 28. सीधी साक्ष्य मिलना संभव नहीं है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उसे प्रमाणित किया जा सकता है। विचाराधीन मामले में जो निर्विवादित तथ्य हैं उनके मुताबिक विचाराधीन आरोपिया श्रीमती आशा एवं अन्य सह अभियुक्त धर्मवीर जिसका विचारण अन्य सत्र न्यायालय में लंबित है, वे दोनों आपस में सगे भाई बहन हैं। किन्तु अभियुक्तों के बीच मात्र रिश्तेदारी यह निष्कर्ष निकालने के लिये पर्याप्त आधार नहीं होता है कि उनके बीच कोई आपराधिक षड्यंत्र था। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट (delhi administration) विरुद्ध एन0एस0 ज्ञानी ए0आई0आर0 1990 एस0सी0 पेज-1190 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है इसलिये विचाराधीन मामले में श्रीमती आशा और धर्मवीर के भाई बहन होने मात्र के आधार पर षड़यंत्र बाबत कोई अनुमान नहीं निकाला जा सकता है बल्कि परिस्थितियों के आधार पर और उनके कार्यों व आचरण की जांच आवश्यक है। उसी पर से सुनिश्चित करना होगा क्योंकि यह भी सुस्थापित विधि है कि आपराधिक षड़यंत्र के आरोप को मात्र अटकलों तथा अनुमानों के आधार पर साबित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत भगवानस्वरूप विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान 1991 सी०आर०एल०जे० पेज-2123 (एस०सी०) में सिद्धान्त प्रतिपादित

किया गया है।

- 29. आपराधिक षड़यंत्र के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा—10 लागू होती है जिसके मुताबिक— सामान्य परिकल्पना के बारे में षड़यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें— जहाँ कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष करने के लिये मिलकर षड़यंत्र किया है, वहाँ उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात, जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही, की या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के विरुद्ध, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड़यंत्र किया है, षड़यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ की ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था।
- 30. भारतीय साक्ष्य अधिनियम'—1872 की धारा—10 के प्रावधान अनुसार यदि प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य इस आशय की है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध करने के लिये सहमित की है, तब न्यायालय के लिये यह पूर्णतः विधिक होगा कि षड़यंत्र के सामान्य आशय के बारे में उक्त षड़यंत्र के द्वारा किये गये कार्य, घोषणाऐं तथा आचरण दूसरे सह अपराधी के विरूद्ध साक्ष्य में ग्राह्य होगा।
- 31. अभियोजन कथानक मुताबिक प्र0पी0—1 के साक्षी दीपन्द्र अ0सा0—2 के द्वारा अपहत प्रीति की लिखाई गई गुमशुदगी की लेखी रिपोर्ट में किसी व्यक्ति पर कोई शंका व्यक्त नहीं की गई है और मूलतः इस आशय की गुमशुदगी लिखाई गई थी कि प्रीति घटना दिनांक को स्कूल पढ़ने गई थी जो वापिस नहीं लौटी हैं। जिसे रिश्तेदारियों में व आसपास के गांवों में तलाश करने पर भी कोई पता नहीं चलने पर गुम होने के दिनांक 09.10.13 के पश्चात दिनांक 17.10.13 को गुमशुदगी दर्ज कराई गई है जिसकी जांच उपरान्त जो अपराध आरोपिया श्रीमती आशा पर पंजीबद्ध हुआ था उसमें एक नाबालिंग स्त्री को शादी के लिये बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आपराधिक षड़यंत्र में शामिल होना बताया गया है इसलिये उसे स्थापित दाण्डिक विधि मुताबिक अभियोजन पर यह प्रमाण भार है कि वह जो कहानी लेकर आया है उसे वह साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों के आधार पर आरोपिया के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करे।
- 32. परीक्षित साक्षियों में से सर्वाधिक महत्व की साक्षी बताई गई अपहता प्रीति अ0सा0—10 है जिसने अपने अभिसाक्ष्य (कथन दिनांक 14.09.15)में यह कहा है कि वह आरोपिया आशा को जानती है क्योंकि आशा उसके माता पिता के घर ग्राम अयेला में दो वर्ष पहले नवरात्रि के समय आई थी तब उसका भाई धर्मवीर भी साथ में था तब आशा ने

उससे कहा था कि उसके भाई के साथ शादी कर लो और तब उसके माता पिता ने मना कर दिया था। फिर वह अपने मामा के घर ग्राम भौनपुरा में चली गई थी जहाँ पढ़ती थी और घटना वाले दिन स्कूल पढ़ने जा रही थी। तब रास्ते में उसे आशा और धर्मवीर व दो अन्य लोग चार पिहया की गाड़ी लेकर आये थे और उसे साथ चलने को कहा था। मना करने पर उसे पोट पुचकारके ले गये। फिर उसने यह भी कहा है कि जबरदस्ती ले गये अपनी मर्जी से वह नहीं गई। उस समय वह कक्षा—दस में पढ़ती थी। पैरा—2 में उसने यह भी कहा है कि पुलिस को दिये बयान में भी उसने यह बात कही थी कि धर्मवीर की बहन आरोपिया आशा उससे बोली थी कि वह धर्मवीर से शादी कर ले। पैरा—5 में इस साक्षी का यह भी कहना रहा है कि नवरात्रि के समय आशा वैसे ही घुमाने के लिये चार पहिया की गाड़ी से उसके घर आई थी और रूकी थी उस समय उसने विवाह की बात की थी तब उसके माता पिता ने मना कर दिया था। उस समय वह ग्राम अयेला में ही अपने माता पिता के यहाँ आई हुई थी।

- 33. अ०सा०—10 प्रीति के अभिसाक्ष्य में आरोपिया आशा के अभियोक्त्री के माता पिता के घर ग्राम अयेला में आने और विवाह का प्रस्ताव रखने तथा मामा के घर ग्राम भौनपुरा में स्कूल जाते समय साथ ले जाने की जो घटना बताई गई है उन दोनों के मध्य कितनी अवधि का अंतराल रहा, इस बारे में उक्त साक्षियों की अभिसाक्ष्य में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है न ही अन्य साक्षियों के अभिसाक्ष्य में जिसमें कि अपहता के माता पिता, भाई, मामा, नानी आदि के अभिसाक्ष्य में स्थिति स्पष्ट हुई है। इसलिये सर्वप्रथम तो अभियोजन इस बिन्दु पर ही अत्यंत निर्बल है कि आरोपिया द्वारा अपने भाई के साथ प्रीति के विवाह का प्रस्ताव रखने और धर्मवीर द्वारा भगा ले जाने के मध्य कोई कड़ी जुड़ती है या नहीं। क्योंकि अभिलेख पर अ०सा०—10 की आई अभिसाक्ष्य से ऐसा कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है कि आशा के किये गये प्रस्ताव का प्रभाव अपहता के मन मस्तिष्क पर घटना दिनांक तक रहा था।
- 34. अ०सा०–10 प्रीति अपने अभिसाक्ष्य पर भी अस्थिर है क्योंकि मुख्य परीक्षण के पैरा–1 में ही वह एक ओर तो स्कूल जाते समय रास्ते से आरोपिया आशा बाई और सह अभियुक्त व दो अन्य का पोट पुचकारकर ले जाना कहती है वहीं दूसरी ओर उक्त पैरा में ही जबरदस्ती ले जाने की बात भी कहती है। अर्थात् अपहता स्वयं ही स्थिर नहीं है कि वह वास्तव में क्या कहना चाहती है। विवाह के लिये कोई प्रस्ताव रखा जाना अवैधानिक कार्य या षड़यंत्र की श्रेणी में नहीं आता है। क्योंकि प्रकरण की जो परिस्थितियाँ अ०सा०–10 ने प्रकट की हैं उसके मुताबिक आरोपिया आशा के द्वारा एकान्तता में अपहता प्रीति को अवयस्क या कोमलवय होने के कारण विवाह के लिये प्रलोभित नहीं किया गया

है बल्कि उसके माता पिता के घर प्रस्ताव रखा गया और माता पिता द्वारा इन्कार भी किया गया। ऐसे में ऐसा प्रस्ताव आपराधिक षड़यंत्र की श्रेणी में नहीं आता है।

- प्रीति अ0सा0—10 के पुलिस कथन प्र0पी0—7 में जो कथानक बताया गया है 35. उसके मुताबिक सह आरोपी धर्मवीर जो कि ग्राम अयेला में अपह्ता के गांव में संटिंग का काम करने गया था उस दौरान उसका संपर्क हुआ तब धर्मवीर के द्वारा उसे प्रसन्न करने की बात कही गई और उस समय आरोपिया आशा के द्वारा धर्मवीर से शादी करने का प्रस्ताव किया गया। प्र0पी0-7 के पुलिस कथन में स्कूल जाते समय रास्ते से प्रीति को धर्मवीर द्वारा ले जाने की जो मूल घटना बताई गई है उस समय आशय का साथ में होना नहीं बताया गया है। बल्कि धर्मवीर के द्वारा मोटरसाईकिल से दिनांक 09.10.13 को प्रीति को आगरा ले जाने की घटना बताई गई है अर्थात् प्र0पी0-7 के मुताबिक मूल घटना के समय आशा साथ में नहीं थी। किन्तु प्रीति अ०सा०–10 प्र०पी०–7 के कथन पर भी स्थिर नहीं है और उसने उसके संबंध में अपनी अभिसाक्ष्य के पैरा-14 में प्र0पी0-7 का ए से ए लगायत एफ से एफ तक की समस्त बातें पुलिस को बताने से इन्कार किया है और न्यायालय में भी इन्कार करती है। तथा यह तथ्य कि करीब दो साल पहले नवरात्रि के समय आरोपिया आशा उसके माता पिता के घर आई थी तब धर्मवीर भी साथ में था। आशा ने उससे धर्मवीर से शादी कर लेने की बात कही और उसके माता पिता ने शादी कर लेने से मना कर दिया। यह बात पहली बार न्यायालय में ही बताना कहती है।
- 36. इसके अलावा स्कूल जाते समय धर्मवीर जब उसे ले गया था तब आशा साथ में थी। यह भी वह पहली बार ही न्यायालय में बताना कहती है। उसके अभिसाक्ष्य के पैरा–17 में अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा कराये गये धारा–164 दप्रसं के कथन के संबंध में भी उसने इन्कारी कही है तथा वह मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन होना तो स्वीकार करती है और उस समय कोई भय नहीं था। उसका पिता साथ में था। लेकिन वह यह कहती है कि पुलिस उसे पकड़कर लाई थी और धर्मवीर के द्वाराजो उसे व उसके पिरजनों को मारने की धमकी दी गई थी उसका डर बैठा हुआ था। इसलिये उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी मर्जी से साथ जाने की बात, मर्जी से संबंध बनाने की बात प्र0डी0–13 में बता दी थी। कुछ बातें वह शपथ पर असत्य रूप से बताना भी स्वीकार करती है। जैसा कि पैरा–17 में उसके द्वारा यह कहा गया है कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी मर्जी से जाने वाली बात, मोटरसाईकिल से जाने की बात, फोन से बातचीत होने वाली बातें गलत बताई थीं। मथुरा में शादी कर लेने की बात, पित पत्नी के रूप में रहने, धर्मवीर से संबंध मर्जी से बना लेने की बातें गलत बताई थीं। इसका वह कोई कारण नहीं बताती है। इस प्रकार से ऐसा साक्षी जो कि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर स्वयं ही

गलत कथन करना स्वीकार करता है, पुलिस कथानक से भिन्न न्यायालय में अभिसाक्ष्य देता है और न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई आधार नहीं है ऐसे साक्षी के किसी भी कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिये अ०सा०—10 के अभिसाक्ष्य से यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि जब उसे धर्मवीर अपने साथ ले गया था तब आशा भी साथ में थी या प्रीति को भगाने में आशा का कोई सहयोग रहा।

- प्रीति अ0सा0-10 का अभिसाक्ष्य इसलिये भी भरोसे योग्य नहीं है कि वह अपने 37. अभिसाक्ष्य में जहाँ एक ओर पुलिस कथन प्र0पी0-7 और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए धारा–164 दप्रसं के कथन प्र०डी०–13 से न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में पलट गई है वहीं दूसरी ओर उसका आचरण भी स्वाभाविक नहीं है। जो स्त्री अपने गर्भ में नौ महीने तक बच्चे को पालें, और बच्चे के होने के बाद वह उसे त्यागकर दूसरी शादी कर ले, जैसा कि प्रीति अ0सा0-10 के अभिसाक्ष्य से स्पष्ट है जिस में उसने यह स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री सलौनी जो धर्मवीर से उत्पन्न पुत्री है, उसे उसने वर्तमान में अनाथालय में छोड़ दिया है और वहीं पल रही है और उसने सिंघपाल सिंह भदौरिया निवासी कनावर जिला भिण्ड से विवाह कर लिया है और उसके साथ अहमदाबाद में रह रही है। इससे उक्त साक्षिया के मन मस्तिष्क में मातृत्व का भाव शून्यवत होना स्पष्ट होता है। इसलिये भी वह किसी बिन्दु पर भरोसे योग्य नहीं है। दूसरी ओर उसके अभिसाक्ष्य में यह तथ्य भी पैरा–15 में स्पष्ट रूप से आया है कि न्यायालय में साक्ष्य देते समय उसके साथ उसका पिता प्रेमसिंह तथा चचेरा भाई मुकेश भी साथ में आया है और वह माता पिता के घर से ही न्यायालय में साक्ष्य देने आई है। संभवतः वह उनके प्रभाव में होकर साक्ष्य दे रही है। इसी कारण वह पूर्व में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए प्र0डी0-13 के अभिसाक्ष्य के उन तथ्यों से इन्कार कर उन्हें गलत बता रही है जो उसे सहमत पक्षकार की ओर इंगित कर रहे हैं और ऐसा आचरण निश्चित रूप से सभ्य समाज के लिये उचित नहीं कहा जा सकता है न ही विधिसम्मत है।
- 38. अ०सा०–10 प्रीति का शपथ पर साक्ष्य हुआ है और धारा–164 दप्रसं के तहत हुआ प्र०डी०–13 का कथन भी शपथ पर है जो कि साक्षिया द्वारा असत्य रूप से दिया गया है ऐसे में वह विधिक कार्यवाही किये जाने योग्य है और उसके अभिसाक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी बिन्दु पर असत्य का सहारा लेता है तो उसे एक झूंठ छुपाने के लिये अनेक झूंठ बोलने पड़ते हैं जिसका जीता–जागता उदाहरण अ०सा०–10 प्रीति है। इसलिये उसकी इस बात पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उसे पोट फुसलाकर ले जाने में आरोपिया आशा का कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष सरोकार

- 39. प्रेमसिंह अ०सा0-1 जो कि अपह्ता प्रीति का पिता है, उसने अपने मुख्य परीक्षण में तो यह बात कही है कि धर्मवीर उसका मन प्रेमी था और उनके घर आता था जो उसकी पुत्री प्रीति को ले गया था। पैरा–1 में उसने यह भी आक्षेप किया है कि आरोपिया आशा व धर्मवीर दोनों ले गये थे। किन्तु पैरा—3 में उसने यह स्वीकार किया है कि उसने ले जाते हुए नहीं देखा था। कथानक मुताबिक भी प्रीति को सह आरोपी धर्मवीर का भीनपुरा से सिहौनियाँ स्कूल में पढ़ते समय ले जाना बताया गया है जबिक उक्त साक्षी ग्राम अयेला का निवासी है जो दोनों अलग–अलग हैं। अ०सा०–1 के अभिसाक्ष्य में यह तथ्य भी नहीं आया है कि उसे इस बात की जानकारी किस माध्यम से हुई कि प्रीति को धर्मवीर और आशा ले गर्ये, जबिक पैरा–3 में ही वह यह स्वीकार करता है कि प्रीति की नानी मामी व प्रीति के साथ पढ़ने वाली किसी लड़की ने भी आज तक नहीं बताया है कि प्रीति को धर्मवीर और आशा ले गये थे। उक्त साक्षी प्रीति के जाने के बाद स्वयं रिपोर्ट करना बताता है। जबिक कथानक मुताबिक उसके द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं की गई है। बल्कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दीपेन्द्र अ0सा0–2 के द्वारा की गई थी। अ0सा0—1 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य और उसके पुलिस कथन व जांच कथन प्र0डी0-1 व प्र0डी0-2 में भी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभाष की स्थिति है और उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य में ऐसा काई तथ्य सुदृढ़ रूप से प्रकट नहीं हुआ है जिससे प्रीति को बहला फुसलाकर भगाने में आरोपिया आशा का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध या सरोकार रहा हो। ऐसे में अ०सा०-1 के अभिसाक्ष्य के आधार पर भी यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपिया आशा का प्रीति को भगाने में कोई हाथ था। बल्कि उसके और दीपेन्द्र अ0सा0–2 के मध्य रिपोर्ट को लेकर भी गंभीर विरोधाभाष की स्थिति है।
- 40. अ०सा०–1 के मुताबिक उसके द्वारा प्रीति के गुम हो जाने के संबंध में दिनांक 09.08.13 के पन्द्रह दिन बाद थाने में वह रिपोर्ट करना कहता है जबिक ऐसी कोई रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं है बल्कि प्र0पी0–1 की जो लेखी गुमशुदगी रिपोर्ट है, वह दिनांक 17.10.13 की है जिसमें घटना दिनांक 09.10.13 की बताई गई है और उक्त घटना दिनांक में ओव्हर राईटिंग है जिसे गौर से देखे जाने पर संभवतः पहले दिनांक 10.09.13 अंकित किया गया था जिसे सुधारकर दिनांक 09.10.13 किया गया है लेकिन दिनांक 10.09.13 की भी अ०सा0–1 कोई घटना नहीं बताता है बल्कि वह तो उससे पहले ही दिनांक 09.08.13 को प्रीति के गुमने की घटना बताता है

- 41. दीपेन्द्र अ0सा0—2 के पैरा—15 मुताबिक उसे यह पता नहीं है कि उसकी भान्जी प्रीति दिनांक 09.08.13 को उसके घर से गायब हुई थी। उसने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं हुआ कि दिनांक 10.08.13 को वह अपने जीजा प्रेमसिंह के घर ग्राम अयेला गया था। उसने इस बात से इन्कार किया है कि लैटिन बनाने का ठेका धर्मवीर ने लिया था और तब रौनक (अपहता की बहन) को उसने 8—10 दिन अपने घर पर रखा इसलिये उसे आशा और धर्मवीर पर भगाकर ले जाने का शक है। जिस दिन प्रीति के गुमने की घटना वह बताता है उस दिन वह लकड़ी काटने के लिये जाने से इन्कार करता है जबकि उक्त साक्षी के जांच कथन प्र0डी0—03 में यही कारण लिखा गया है कि घटना वाले दिन वह लकड़ी काटने गया था जिससे वह इन्कार करता है। उसके इन्कारी का कारण स्पष्ट नहीं है। इस तरह से अ0सा0—2 भी अपने अभिसाक्ष्य पर स्थिर नहीं है और उसका पुलिस कथन व जांच कथन प्र0डी0—3 व 4 व न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में विरोधाभाषी स्थिति है। तथा उसके कथन एवं प्रेमसिंह अ0सा0—1 के कथनों में भी गंभीर विरोधाभाष हैं इसलिये वह साक्षी भी विश्वसनीय नहीं है।
- 42. प्र0पी0—1 की लेखीय रिपोर्ट अ0सा0—2 के द्वारा ही थाने पर दी जाना कथानक में बताया गया है। जबिक अ0सा0—2 के पैरा—10 में थाने पर केवल मौखिक रिपोर्ट करना कहता है। हाथ से लिखकर देने से इन्कार करता है। अन्य किसी से भी लिखवाने से इन्कार करता है। बिल्क यहाँ तक भी कहता है कि प्र0पी0—1 की यदि उसके हाथ की लिखी रिपोर्ट हो तो वह गलत है और प्र0पी0—1 पर वह अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार करता है। उक्त साक्षी के पैरा—11 में जब उसे प्र0पी0—1 की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई तब उसने दूसरे से लिखवाकर तथा स्वयं बोलकर लिखवाकर देना कहा है। किन्तु घटना दिनांक की ओव्हर राईटिंग के संबंध में उसने यह भी स्वीकार किया है कि पहले 10.09.13 लिखा गया था। ऐसे में इस साक्षी के अभिसाक्ष्य से तो घटना की दिनांक तक संदिग्ध है इसलिये उक्त साक्षी की किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
- 43. अपहता की माँ गुड़डी उर्फ चांदनी अ0सा0—3 ने (साक्ष्य दिनांक 15.09.14) अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह आशा बाई को जानती है। पिछले क्वार के महीने में नवदुर्गाव के समय जब उसके ससुर खतम हुए थे तब प्रीति घर आई थी। वह सावन के महीने में आशा और धर्मवीर का आना भी बताती है। उनके साथ प्रीति को गिर्राज जी भी भेजना स्वीकार करती है। दूसरी

ओर यह भी कहती है कि उसने प्रीति को उनके साथ भेजने से बार बार मना किया था लेकिन आरोपिया जबरदस्ती उसके पुत्री को यह कहकर ले गयी थी कि जल्दी लौट आयेंगे और सुबह दस बजे उसकी पुत्री को घर छोड़ गई थी। उसने यह भी कहा है कि भादों के महीने में जब मेला लगा था तब उसकी छोटी पुत्री रौनक को भी धर्मबीर अपने साथ ले गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी का फरियादी के घर पहले से आना जाना रहा है, इस बात की पुष्टि अ०सा0—3 के पिता प्रेमसिंह अ०सा0—1 के अभिसाक्ष्य भी होती है जिसने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा—3 में यह स्वीकार किया है कि उसके पिता की तेरहवीं में धर्मवीर को उसने न्यौता दिया था और वह आया भी था। प्रेमसिंह अ०सा0—1 ने पैरा—6 में यह स्वीकार किया है कि सिंहौनिया स्कूल से प्रीति को आशा द्वारा ले जाने वाली बात वह न्यायालय में ही पहली बार बता रहा है पुलिस को नहीं बताई थी। यह भी इस बात को अविश्वसनीय बनाने के लिये एक कारक है।

- गुड्डी उर्फ चांदनी अ०सा0-3 के मुताबिक प्रीति को धर्मवीर क्वार के ैमहीने में उटाकर ले गया था जबकि ऐसा अभियोजन का कथानक नहीं है । उसका यह भी कहना है कि उसके पति और भाई दीपेन्द्र न प्रीति को ढूंढ़ा और धर्मवीर के घर पर गये तो धर्मवीर घर से गायब लिमा था और धर्मवीर के घर वालों ने यह कहा था कि ढूंढ़कर ला देंगे। ऐसा भी कथानक नहीं है कि कथानक मुताबिक स्कूल जाते समय रास्ते से प्रीति का गुम हो जाना बताया गया है। पैरा-3 में उक्त साक्षिया ने यह भी कहा है कि गिर्राज की परिक्रमा के लिये उसने अपनी लड़की को धर्मवीर के साथ इसलिये भेज दिया था क्योंकि जान-पहचान हो गयी थी और दूसरे दिन वह छोड़ गया था। हालांकि वह इस बात से इन्कार करता है कि प्रीति की धर्मवीर से सगाई कर दी गई थी। प्रेमसिंह अ०सा0-1, दीपेन्द्र अ०सा0-2, गुड्डी उर्फ चांदनी अ०सा0-3 व प्रीति अ०सा0–10के अभिसाक्ष्य में यह स्वीकारोक्ति भी आई है कि आशा चौहानों में ब्याही है। धर्मवीर जादौन है। प्रीति सिकरवार है और सामाजिक स्तर पर तोमर अपनी बेटियों को सिकरवार व पंवारों में ब्याहते हैं, चौहान, जादीन भदौरिया और कुशवाहों में नहीं ब्याहते हैं। दीपेन्द्र ने यह भी कहा है कि वह अपनी बहन भांजी, पुत्रियों की शादी चौहान, जादौन, भदौरिया, कछवाह या कुशवाहों में नहीं करते हैं क्योंकि वह उनसे कुल में नीचे होते हैं
- 45. बचाव पक्ष का भी यही तर्क है कि प्रीति का संबंध धर्मवीर से तय किया था किन्तु दीपेन्द्र की वजह से रिश्ता टूटा क्योंकि दीपेन्द्र जादौनों में बहन भांजी

का रिश्ता करने पर आपित कर रहा था और सगाई हो चुकी थी इसिलये झूंठी कहानी बनाकर कार्यवाही की गई है जो उपरोक्त प्रकार की स्वीकारोक्ति को देखते हुए लिये गये आधार को निर्वल नहीं कहा जा सकता है। बल्कि पूर्व परिचित होने के बावजूद यदि शादी पर कोई शंका थी तो गुमशुदगी में भी शंका जाहिर की जाती जबिक गुमशुदगी में केवल स्कूल में पढ़ते समय गुम हो जाने का कथानक ही बताया गया है।

- अ0सा0-3 के पैरा-7 मुताबिक उसे इस बात की सही जानकारी नहीं है 46. कि उसकी पुत्री अपने मामा दीपेन्द्र के घर से गायब हुई थी या रास्ते से गायब हुई थी या बैंक पर से गायब हुई थी या स्कूल से गायब हुई थी। उसके मुताबिक देखने वालों ने बताया था कि सिहोंनियाँ स्कूल से चार पहिया के वाहन में आशा, धर्मवीर उसे ले गये हैं। ऐसा उसके मायके वाले गांव वालों ने और उसके भतीजे रिंकू ने देखा था। लेकिन वह गांव वालों के नाम नहीं बताना चाहती है। उसके मुताबिक रिंकू ने उसे फोन पर ऐसी बात नहीं बताई थी कि आशा धर्मवीर ले गये हैं तथा उसका यह भी कहना है कि उसका भाई दीपेन्द्र घटना के दूसरे दिन ही उसके यहाँ आया था। साक्षिया ने यह भी कहा है कि उसे शक है और जानकारी है कि आशा, धर्मवीर ही ले गये हैं। किन्तु प्रकरण में अ०सा0-3 का कोई भतीजा रिंकू साक्षी ही नहीं है न ही अनुसंधान या जांच के दौरान रिंकू का नाम आया कि उसने आरोपिया आशा को प्रीति को ले जाते हुए देखा था। न ही न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के पूर्व अ०सा०-3 ने यह बात किसी को बताई है। इससे अ०सा0-3 का अभिसाक्ष्य जहाँ एक ओर अत्यंत विकासात्मक है वहीं दूसरी ओर धटना को विलंबित बताने के उद्धेश्य से दिया जाना परिलक्षित होता है। जो कि विश्वास योग्य नहीं है और उक्त साक्षिया के पैरा-9 मुताबिक रिंकू वर्तमान में भी भौनपुरा में रहता है जिस ने उसे देखना बताया था लेकिन उक्त साक्षिया ने प्र0डी0-5 के जांच कथन में और प्र0डी0-6 के पुलिस कथन में भी रिंकू के द्वारा बताये जाने की बात नहीं कही है। ऐसे में उक्त साक्षिया का उपरोक्त प्रकार का अभिसाक्ष्य भरोसे योग्य नहीं है। 🌈
- 47. मुकेश अ०सा०-8 जो कि अपहता प्रीति का चचेरा भाई है, उसके द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया गया है कि आशा प्रेमसिंह के घर आती थी और उसका भाई धर्मवीर भी आता जाता था। धर्मवीर ने प्रेमसिंह की लैद्रिन का निर्माण कराया था। गिर्राज जी की परिक्रमा के लिये भी वह प्रीति को ले गये थे और छोड़ गये थे। प्रीति अपने मामा के यहाँ भोनपुरा में पढ़ने के लिये रहती थी और

प्रीति के गुम होने के दो दिन बाद उसे प्रेमसिंह ने बताया था कि प्रीति को आशा, व धर्मवीर ले गये हैं फिर वह प्रेमसिंह के साथ थाना एण्डोरी गया था और रिपोर्ट कराई थी। उसके बाद आशा के घर गये थे और आशा से प्रीति को वापिस करने के लिये कहा था तो आशा ने यह कह दिया था कि दो तीन दिन में वापिस आ जावेगी। वे उसके भाई से प्रीति की शादी कर दें जिस पर प्रेमसिंह ने मना कर दिया था। फिर रिपोर्ट हुई थी तथा पुलिस ने आरोपिया आशा को गिरफ्तार कर लिया था। धर्मवीर व प्रीति को भी पुलिस पकड़ लाई थी। जबकि अभियोजन के कथानक मुताबिक बताई गई घटना में प्रीति के गुम होने के दो दिन बाद कोई रिपोर्ट नहीं की गई न ही आशा के द्वारा दो तीन दिन में वापिस करा देंगे या शादी कराने की बात आई है। न ही अन्य साक्षियों के कथनों में ऐसा आया है बल्कि कथानक मुताबिक तो 09.10.13 की गुमशुदगी के बाद 17.10.13 को गुमशुदगी दर्ज कराई गई वह भी दीपेन्द्र के द्वारा कराई गई और उक्त साक्षी के द्वारा भी प्रीति को आशा व धर्मवीर के साथ जाते हुए नहीं देखा गया न ही 🛂 उसे प्रीति की किसी सहेली के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा प्रीति को ले जाते हुए देखने की बात की गई जैसा कि उसके पैरा-4 में आया है। बल्कि वह पैरा–3 में यह कहती है कि प्रेमसिंह ने उसे ले जाने की बात बताई थी। जबकि प्रेमसिंह, मुकेश के द्वारा बताने का समर्थन अपने अभिसाक्ष्य में नहीं करता है।

- 48. उक्त साक्षी के पैरा-7 में यह स्वीकारोक्ति भी आई है कि उन्होंने अपनी ओर से प्राईवेट वकील भी कर लिया है इससे उक्त साक्षी के द्वारा न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में जो तथ्य बताये जा रहे हैं वे कथानक से परे होकर सिखाये पढ़ाये पिरलक्षित होते हैं। उक्त साक्षी के जांच कथन प्र0डी0-9, पुलिस कथन प्र0डी0-10 और न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में प्रत्येक महत्वपूर्ण बिन्दु पर तात्विक स्वरूप के विरोधाभाष हैं जो उसके अभिसाक्ष्य को भी संदिग्ध बनाते हैं।
- 49. मुन्नीदेवी अ०सा०–9 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा–1 व 2 में जो तथ्य बताये हें उसे यह स्पष्ट है कि आरोपिया और अपहता व उसके परिजन घटना के पहले से परिचित हैं और उनका आना जाना रहा है। उक्त साक्षिया ने पैरा–2 में यह बताया है कि करीब डेढ़ साल पहले क्वार के महीने में छंट का दिन था। उसकी नातिन प्रीति उसके घर भौनपुरा से सिहोंनियाँ स्कूल गई थी। आशा ने प्रीति से पूछा था कि वह कहाँ पर और कितने बजे स्कूल जाती है तब प्रीति ने फोन पर उसके सामने आशा को बताया था कि वह सुबह नौ बजे स्कूल जाती है और शाम चार बजे छुट्टी होती है। उसके दूसरे दिन आशा उसके भाई धर्मवीर

व दो—तीन अन्य लोगों ने सिहोनिया के स्कूल में गाड़ी लगा दी थी और प्रीति को स्कूल पहुंचने के पहले ही पकड़ लिया था और आगरा ले गये थे। प्रीति जब स्कूल से घर नहीं पहुंची तब उसके लड़के दीपेन्द्र ने प्रीति को तलाशा था। प्रेमसिंह को भी फोन पर घटना की सूचना दी थी। उक्त साक्षिया के पैरा—3 मुताबिक घटना वाले दिन उसका लड़का बाजरा काटने गया था। पैरा—4 मुताबिक उसे यह जानकारी नहीं है कि प्रीति के साथ भौनपुरा से कौन कौन सी लड़कियाँ सिहोनिया स्कूल में पढ़ने जाती थी न उसने किसी को देखा है न ही उनके नाम जानती है जबिक पैरा—5 में उसने यह कहा है कि प्रीति कभी स्कूल बस से जाती थी कभी साईकिल से जाती थी। गांव की शालू नामक लड़की भी साथ में जाती थी जबिक स्वयं प्रीति अ0सा0—10 के मुताबिक घटना वाले दिन वह पैदल अकेली गई थी।

- 💦 मुन्नीबाई अ०सा०–9 के द्वारा पैरा–6 में यह कहा गया है कि उसके पुत्र दीपेन्द्र को गांव के एक दूधवाले पूरनिसंह तोमर ने यह जानकारी दी थी कि इण्डिका गाड़ी आई थी जिसमें एक जवान लड़की व चार जवाब बच्चे थे जो प्रीति को पकड ले गये थे। फिर उसी दिन दीपेन्द्र ने प्रेमसिंह को भी उक्त बात बता दी थी और पैरा-7 में यह भी कहा है कि घटना के दूसरे दिन चार बजे दीपेन्द्र प्रेमसिंह द्रैक्टर में लोगों को भरकर धर्मवीर के घर पहुंच गये थे। इस तरह से उक्त साक्षिया के मुताबिक घटना वाले दिन ही प्रीति को आशा और धर्मवीर के द्वारा सिहोनियाँ स्कूल जाते समय अपहत कर ले जाने वाली बात की जानकारी हो जाना बताती है। जबिक प्रकरण में पूरनसिंह नामक कोई भी साक्षी नहीं है जिसने दीपेन्द्र को घटनाकी जानकारी दी हो या प्रीति को आशा द्वारा ले जाते समय देखा हा। जबिक गुड्डी उर्फ चांदनी रिंकू नामक लड़के द्वारा देखना कहती है जो कथानक का हिस्सा नहीं है। न ही पूरनसिंह का नाम जांच में या विवेचना में आया। इससे यह स्पष्ट है कि मुन्नीदेवी पूरनिसंह का नाम पहली बार न्यायालय में बता रही है जिसका कोई आधार नहीं है। और मुन्नीदेवी के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य व जांच कथन प्र०डी०–11 व पुलिस कथन प्र०डी०–12 में भी सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभाष की स्थिति है। जिससे उक्त साक्षिया भी किसी भी प्रकार से भरोसे योग्य नहीं है।
- 51. इस प्रकार से अपहत के परिजन व निकट संबंधी जिनमें माता पिता, चचेरा भाई, मामा व नानी शामिल हैं वे कहानी को अपनी तरह से व्यक्त कर रहे हैं जिनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है न ही वे कथानक से कड़ी के रूप में

जुड़ते हैं और सभी एक दूसरे के प्रतिकूल साक्ष्य देते हैं। जिससे कथानक के वृतांत की कोई पुष्टि नहीं होती है। इसलिये उक्त साक्षियों के संबंध में बचाव पक्ष का यह तर्क विधिक बल रखता है कि किसी ने भी प्रीति को ले जाते हुए नहीं देखा न ही आरोपिया आशा को देखा गया है। आरोपिया आशा के संबंध में साक्ष्य में यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से आया है कि आशा बाई घटना के पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं तथा पित है ऐसे में वह अपने सुखी शादीशुदा और वैवाहिक जीवन को त्याग कर व्यर्थ के झमेले में पड़ेगी ऐसा स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है इसलिये आरोपिया आशा के संबंध में जो यह तर्क बताया गया है कि आशा प्रीति को साथ में लेकर आगरा, जयपुर आदि में लंबे अरसे तक साथ में रही, उसे भी ग्राह्य नहीं किया जा सकता है।

- 52. शालू अ०सा०–7 के मुताबिक वह उसकी खास सहेली नहीं है। उसने बृजलता और सोनल को प्रीति की खास सहेलियाँ बताया है जिनसे प्रीति बातचीत करती थी किन्तु उनमें से कोई भी अभियोजन की साक्षी नहीं है और शालू के मुताबिक प्रीति घटना वाले दिन उसक साथ स्कूल नहीं गई थी। बल्कि शालू ने साथ चलने को कहा था तो प्रीति ने मना कर दिया था। उक्त साक्षिया के मुताबिक 7–8 लड़कियाँ जिनमें बृजलता व सोनल भी शामिल हैं, सिहोनियाँ स्कूल जाती थीं और प्रीति से कभी उनकी बातचीत नहीं हुई है न ही बताई गई घटना दिनांक को शालू को स्कूल जाते आते या रास्ते में प्रीति से मिली हो इसलिये उक्त साक्षिया से भी अभियोजन को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं होता है।
- 53. प्र0आर0 बि्जमोहन अ०सा०—56 के मुताबिक उसके द्वारा दीपेन्द्र द्वारा लिखाई गई गुमशुदगी सूचना पर से प्र0पी0—2 की गुम इन्सान सूचना कमांक—07/13 दर्ज करना बताया गया है। उसका ऐसा कहना है कि प्र0पी0—1 के आवेदन पर से उसने प्र0पी0—2 की गुमशुदगी दर्ज की थी। हालांकि उसने घटना दिनांक 10.09.13 के स्थान पर 09.10.13 किये जाने से इन्कार किया है। तथा घटना की विवेचना ए०एस०आई० आर०सी० माहौर अ०सा०—6 के द्वारा की जाना बतायी गई है जिसने गुम इन्सान की जांच प्राप्त होने पर जांच के दौरान दीपेन्द्र, प्रेमसिंह, गुड्डी उर्फ चांदनी, मुन्नीदेवी व मुकेश क कथन लिये थे। कथनों में आये तथ्यों के आधार पर आशा बाई के द्वारा प्रीति को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का अपराध गठित होना पाये जाने से प्र0पी0—5 की एफ०आई०आर० दर्ज की थी और विवेचना के दौरान उक्त साक्षिया के कथन लिये थे। तथा आरोपिया की प्र0पी0—6 मुताबिक गिरफ्तारी की

गई थी। किन्तु उक्त विवेचक ने प्रेमिसंह, दीपेन्द्र, गुड्डी उर्फ चांदनी, मुकेश और मुन्नीदेवी के जांच कथनों एवं पुलिस कथनों में आये विरोधाभाष और विषंगितयों के संबंध में इस आशय की साक्ष्य दी है कि जो साक्षिया ने बताया था वैसा ही उसने लिखा था। अपनी ओर से कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं था। और उक्त साक्षी जो न्यायालय में कथन देते हैं यदि वह वैसा बताते तो वह अवश्य लिखता। उसकी यह स्वीकारोक्ति भी आई है कि वह प्रकरण में जांच कर्ता भी है और विवेचक भी है। हालांकि इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि जांचकर्ता विवेचक हो सकता है क्योंकि परिवादी तो दीपेन्द्र अ0सा0—2 है। ऐसे में जबिक महत्वपूर्ण साक्षी भरोसे योग्य नहीं पाये गये हैं तब उक्त विवेचक की साक्ष्य औपचारिक स्वरूप की हो जाती है और उस पर से कोई तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि प्रीति को विवाह का प्रलोभन देकर उसे अवयस्कता के कारण बहला फुसलाकर भगाने में आरोपिया आशा का कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध व सरोकार बताई गई घटना में रहा हो।

- 54. प्रीति और धर्मवीर के संबंध में इस प्रकरण में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है क्योंकि धर्मवीर के संबंध में पृथक से विचारण संचालित है जिसमें ही उसके आक्षेपों का निराकरण होगा।
- 55. इस प्रकार से अभिलेख पर आई परिस्थितियों को भी देखा जाये तो ऐसे कोई तथ्य या परिस्थितियों की श्रृंखला नहीं बनती है जो आरोपिया आशा को अपहत प्रीति को यह जानते हुए कि वह अवयस्क है उसे विधिपूर्ण संरक्षकता से वगैर सम्मति व अनुमति के धर्मवीर के साथ विवाह करने का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर व्यपहरण करने में आपराधिक षड़यंत्र की भागीदार रही हो। इसलिये आरोपिया आशा के विरूद्ध मामला पूरी तरह से संदिग्ध है। और आपराधिक षड़यंत्र के लिये आवश्यक अवयवों की पूर्ति उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों के समग्र मूल्यांकन पश्चात भी नहीं होते हैं। इसलिये आरोपिया आशा आपराधिक षड़यंत्र के विरचित आरोप से संदेह के तहत लाभ पाने की पात्र होकर दोषमुक्ति योग्य है। फलस्वरूप आरोपिया आशा को धारा—120 (बी) भा0द0वि0 के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।
- 56. आरोपिया आशा के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 57. चूंकि मामले की अपहता प्रीति अ०सा०–10 ने शपथ पर वयस्क होते हुए मिथ्या साक्ष्य दी है अतः उसके संबंध में पृथक से धारा–340 द०प्र०सं० के तहत परिवाद तैयार कर संबंधित जे०एम०एफ०सी० न्यायालय गोहद की ओर कार्यवाही

हेतु भेजा जावे।

58. निर्णय की प्रति डी०एम० भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांकः **12 जनवरी-2016**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड

Alterday Paterday Pat